

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
 क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-71 पार्ट-2/से0नि0/2020/ दिनांक:-

-:: आदेश ::-


निम्नलिखित नर्स-2/महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पदनाम (सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सुधा गौतम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चुरू	03.04.61	10.07.89	30.04.21
2.	मिथलेश सोलंकी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	धौलपुर	03.04.61	21.03.87	30.04.21
3.	गिरजा देवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चुरू	25.04.61	31.05.84	30.04.21
4.	सुलेखा बीवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बारां	10.05.61	08.12.86	31.05.21
5.	मरियम्मा टीएम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	कोटा	12.05.61	12.10.81	31.05.21
6.	वलसमा जार्ज, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	चुरू	23.05.61	24.09.84	31.05.21
7.	कौशल्या बाई, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	30.05.61	18.08.86	31.05.21
8.	कमला कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	30.05.61	28.09.85	30.05.21
9.	ओमनयम्मा के0जी0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झुंझुनू	07.06.61	18.11.86	30.06.21
10.	संतोष त्रिवेदी, नर्स श्रेणी द्वितीय	जयपुर	23.06.61	14.06.89	30.06.21
11.	गुलनाज बेगम, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	उदयपुर	28.06.61	22.12.88	30.06.21
12.	शमसुन निसा, नर्स श्रेणी द्वितीय	भीलवाड़ा	01.07.61	19.10.93	30.06.21
13.	ललिता वर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बारां	01.07.61	20.05.89	30.06.21
14.	विजयलक्ष्मी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	पाली	12.07.61	05.09.83	31.07.21
15.	रमा देवी वी0एस0, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	15.07.61	23.12.82	31.07.21
16.	मेरी कुट्टी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	श्रीगंगानगर	16.07.61	21.12.85	31.07.21

17.	सुसम्मा मेथ्यू, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर	19.07.61	14.12.87	31.07.21
18.	कमलेश देवी सहरावत, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	झुंझुनू	15.08.61	27.01.84	31.08.21
19.	मुनेष्वरी पण्ड्या, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	उदयपुर	09.10.61	02.06.87	31.10.21
20.	लाली कुमारी भीणा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	उदयपुर	10.12.61	15.01.83	31.12.21

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्रम संख्या 01 से 20 पर अंकित कार्मिकाओं के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-71 पार्ट-2/से0नि0/2020/718

दिनांक:- 13/4/21

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, एवं पदेन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ई.एस.आई. योजना, लक्ष्मी नगर, जयपुर।
3. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
9. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
10. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय राजस्थान।
11. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
13. आदेश/निजी पत्रावली।



निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर